# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
[पंचदश-सत्र]

बुधवार, तिथि- 06 फरवरी, 2019 (ई0)
17 माघ, 1940 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

**प्रश्नोत्तर**

(01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

**ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य**

(04)- श्रीमती जोबा माझी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च,तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
**(दिनांक- 01.02.2019,04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(05)- सर्वश्री रबीन्द्र नाथ महतो,नलिन सोरेन एवं श्री स्टीफन मराण्डी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
**(दिनांक- 01.02.2019,04.02.2019एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(06)- श्री लक्ष्मण टुडू,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।
**(दिनांक- 01.02.2019,04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(07)- श्री हरिकृष्ण सिंह,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
**(दिनांक- 04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(08)-श्रीमती गंगोत्री कुजूर,श्री जय प्रकाश वर्मा एवं श्री साधु चरण महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।
**(दिनांक- 04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

कृ0पृ0उ0/-

(09)–सर्वश्री पौलुस सुरीन,शशि भूषण सामाड़ एवं श्री जगरनाथ महतो,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 04.02.2019 एवं 05.02.2019से स्थगित)**

(10)–श्री प्रदीप यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(11)–श्रीमती सीमा देवी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 04.02.2019 एवं 05.02.2019 से स्थगित)**

(12)–सर्वश्री ताला मराण्डी,अशोक कुमार एवं श्री राम कुमार पाहन,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार(विधि विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 05.02.2019 से स्थगित)**

(13)–श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 05.02.2019 से स्थगित)**

(14)–श्री फूलचन्द मंडल,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 05.02.2019 से स्थगित)**

(15)–श्रीमती निर्मला देवी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 05.02.2019 से स्थगित)**

(16)–सर्वश्री अमित कुमार मंडल,जय प्रकाश सिंह भोगता एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

**(दिनांक– 05.02.2019 से स्थगित)**

(17)–श्री दीपक बिरुवा एवं श्री शशि भूषण सामाड़,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(18)–श्री निर्भय कुमार शाहाबादी,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार ( गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(19)–श्री मनोज कुमार यादव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(20)–श्री नारायाण दास,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग)की ओर से वक्तव्य।

कृ0पृ0उ0/–

(21)–श्रीमती विमला प्रधान एवं श्री शिव शंकर उरांव,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण–सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग)की ओर से वक्तव्य।

## समितियों का गठन

(22)– झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन। (यदि हो)

## –: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–

(23)– मंत्री प्रभारी (ऊर्जा विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948 की अधिनियम-14) की धारा–45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक बजट वर्ष–2017–18 की एक प्रति सभा मेज पर रखा जाना।

(24)– झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा–पटल पर रखा जाना। (यदि हो)

(25)– याचिकाओं का उपस्थापन। (यदि हो)

## –: विधायी–कार्य :–

## झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2019

(26)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि''झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2019''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(27)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(28)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2019'' पर विचार हो।

(29)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड (संशोधन) विधेयक,2019'' स्वीकृत हो।

कृ0पृ0उ0/–

## झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक,2019

(30)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि''झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक,2019''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(31)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

(32)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक,2019''पर विचार हो।

(33)– मंत्री प्रभारी (नगर विकास एवं आवास विभाग) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रस्ताव करेंगे कि ''झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) विधेयक,2019'' स्वीकृत हो।

## झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक,2019

(34)– मंत्री प्रभारी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगी कि '' झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक,2019''को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

(35)– मंत्री प्रभारी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) डॉ0 लुईस मराण्डी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगी।

(36)– मंत्री प्रभारी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगी कि ''झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक,2019''पर विचार हो।

(37)– मंत्री प्रभारी (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) डॉ0 लुईस मराण्डी,प्रस्ताव करेंगी कि ''झारखण्ड अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य आयोग विधेयक,2019''स्वीकृत हो।

## राजकीय संकल्प

(38)– स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी मंत्री श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी,प्रस्ताव करेंगे कि ''चूँकि स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,झारखण्ड,राँची की अधिसूचना संख्या–374(13) दिनांक–22.09.2006 तथा 294(13) दिनांक–27.10.2015 द्वारा

कृ0पृ030/–

The Transplantation of Human Organs Act. 1994 तथा The Transplantation of Human Organs(Amendment)Act. 2011 झारखण्ड राज्य में पूर्व से अंगीकृत है;''

''और चूँकि भारत सरकार द्वारा उक्त के संदर्भ में The Transplantation of Human Organs and Tissues Rules 2014 लागू किया गया है, उक्त संशोधित अधिनियम की धारा 1(3) में प्रावधान है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत उक्त संशोधनों को संकल्प के माध्यम से अंगीकृत कर कोई भी राज्य इसके उपबंधों को अपने राज्य के लिए लागू कर सकता है। चूँकि मानव अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित मूल केन्द्रीय अधिनियम The Transplantation of Human Organs Act. 1994 राज्य में पूर्व से लागू है और इस अधिनियम में केन्द्र सरकार द्वारा लागू The Transplantation of Human Organs and Tissues Rules 2014 को भी इस राज्य में लागू करने की अनिवार्यता हो गई है तथा इसे राज्य में लागू करने हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् विधान सभा की सहमति आवश्यक है'';

''और यह भी चूँकि The Transplantation of Human Organs and Tissues Rules 2014 को राज्य में अंगीकृत करने हेतु विभागीय संलेख ज्ञापांक-49(13) दिनांक-29.01.2019 द्वारा गठित प्रस्ताव को दिनांक-29.01.2019 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-18 के रूप सम्मिलित किया गया जिस पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है;''

अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सभा केन्द्र सरकार द्वारा लागू ''The Transplantation of Human Organs and Tissues Rules 2014'' को अंगीकृत करें।

(39)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य। (यदि हो)

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची

कृ0पृ030/-

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–01/2019–....1171..../वि0स0,राँची,दिनांक–....05/2/19....

प्रतिलिपिः–माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान–सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–01/2019–....1171..../वि0स0,राँची,दिनांक–....05/2/19....

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–कार्य0का0सू0–01/2019–....1171..../वि0स0,राँची,दिनांक–....05/2/19....

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान–सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सरोज कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

05/02/19